कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन,खण्ड–ब, तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर 0771–2511727
Email - clm.cg@nic.in

क्रमांक 51 / विमा / स्था. / 2025 नवा रायपुर दिनांक 09 / 01 / 2025

प्रति,

संचालक,
संचालनालय खाद्य नगारिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
इन्द्रावती भवन, खण्ड–ब, तृतीय तल,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 के प्रकाशन हेतु जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 8355 / संचा.–वि.स. / 2024 दिनांक 24.12.2024

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के तहत वर्ष 2024–25 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन हेत विभाग के दायित्व, विभागीय गतिविधियां, बजट, आय–व्यय तथा दर्ज प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्रकाशन के लिए अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। (सी.डी.)

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटलनगर

OK

I\sthapna\letter\

CamScanner

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25

विधिक मापविज्ञान विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

सामान्य जानकारी :–

विधिक माप विज्ञान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित बाट माप नियमों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए विभिन्न स्तरों पर बांट–माप के मानकों का संधारण कर व्यापार और वाणिज्य में उपयोग किये जाने वाले बांट–माप तथा तील यंत्रों की प्रमाणिकता को बनाये रखना है इस प्रकार यह विभाग उपभोक्ता हितों की संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। बाजार में क्रय–विक्रय और विनिमय के दौरान वस्तुओं का सही मात्रा में प्रदाय हो साथ ही आम ग्राहकों के साथ तौल और माप में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, यह देखना भी विभाग का मुख्य कार्य है।

विभागीय कार्य :–

01 विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य में प्रचलित बांट–माप एवं तौल यंत्रों के सत्यापन की प्रमाणिकता बनाये रखना।
02 बांट–माप तथा तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक कार्य के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना।
03. डिब्बा बंद वस्तुओं में, निर्माता द्वारा घोषित मात्रा एवं कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।
04. राज्य के निर्माता, पैकर एवं आयातकर्ताओं का पंजीकरण करना।
05. व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किये जा रहे बांट–माप एवं तौल उपकरणों की जांच करना।

अधिशासित नियम एवं अधिनियम :–

विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों में प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम में राज्य शासन को नाप–तौल से संबंधित राजस्व के संबंध में प्रावधान है। इसके अलावा नाप–तौल से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्थायें है। विधिक मापविज्ञान विभाग निम्न अधिनियम तथा नियमों द्वारा प्रशासित होती है।

विधिक मापविज्ञान, अधिनियम, 2009	विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011
	विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम 2011
	विधिक मापविज्ञान (मॉडलो का अनुमोदन) नियम 2011
	भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम 2011
	विधिक मापविज्ञान (संख्यान) नियम 2011
	छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011
	विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम 2011

CamScanner

विभागीय संरचना – विधिक माप विज्ञान विभाग में नियंत्रक 01, संयुक्त नियंत्रक 01, उप–नियंत्रक 01, सहायक नियंत्रक 06, निरीक्षक 44, तृतीय श्रेणी लिपिक कर्मचारी 73 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 64 पद स्वीकृत है। विभाग में कुल पद 190 के विरूद्ध 113 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
01	प्रथम श्रेणी	3	2	1
02	द्वितीय श्रेणी	6	6	0
03	तृतीय श्रेणी (निरीक्षक)	44	22	22
04	तृतीय श्रेणी (लिपिक)	68	49	19
05	चतुर्थ श्रेणी	62	31	31
06	वाहन चालक	3	3	0
07	कलेक्टर दर (श्रम सहायक)	4	0	4
	योग	**190**	**113**	**77**

विधिक मापविज्ञान विभाग के अंतर्गत राज्यभर में कुल 38 कार्यालय संचालित हैं। नियंत्रक विधिक मापविज्ञान विभाग प्रमुख हैं, जिनका कार्यालय इन्द्रावती भवन तथा 06 संभागों में क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर संभागीय कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान पदस्थ है। इसके अलावा 44 निरीक्षक के कार्यालय स्थानीय सीमाओं के लिए अधिकृत हैं।

विभाग का बजट एवं व्यय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभाग को कुल 1067,61 लाख रूपये का बजट आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत किया गया है, इसके विरूद्ध अप्रैल 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में विभाग द्वारा रूपये 607,05 लाख का व्यय किया गया है।

विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी :–

राज्य में नाप–तौल से संबंधित कुल 42 निर्माता तथा 300 विक्रेता पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 10 नवीन अनुज्ञप्तियॉ तथा 32664 सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी की गई है। राज्य में कुल 1616 पैकर पंजीकृत है। नाप–तौल से संबंधित तथा सत्यापित उपकरणों की संख्या निम्नानुसार हैः–

कुल विनिर्माता	विक्रेता	सुधारक	पैकर पंजीयन
42	**300**	**211**	**1616**
सत्यापित उपकरणों की संख्या			
फ्यूल डिसपेंसर	गैर स्वचालित तौल उपकरण	वेब्रिज (धर्मकांटा)	अन्य बांट–माप
4881	**14644**	**3096**	**11440**

CamScanner

विभागीय राजस्व प्राप्ति की जानकारी :–

दर्ज प्रकरणों की जानकारी			वर्षवार राजस्व प्राप्तियॉं		
वर्ष	दर्ज प्रकरण	प्राप्त राजीनामा	वर्ष	लक्ष्य (करोड़ में)	प्राप्ति (करोड़ में)
2021–22	1151	रू.62,77,500	2021–22	6.50	8.71
2022–23	596	रू.42,76,350	2022–23	7.50	11.29
2023–24	715	रू.44,47,500	2023–24	9.00	12.03
2024–25	718	रू.47,34,200	2024–25	14.44	9.59
(वर्ष 2024–25 के ऑकड़े दिसंबर 2024 की स्थिति में)					

शिकायतों का निराकरण (NCH) – राज्य के उपभोक्ताओं को सही कीमत तथा मात्रा सुनिश्चित करने विभाग प्रतिबद्ध है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण नियमानुसार किया जाता है। वर्ष 2017 से अब तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से कुल **766** शिकायत प्राप्त हुये है, जिनमें से **747** आवेदनों का निराकरण करते हुए **90** शिकायतों में अब तक लगभग 4,55,500 राजीनामा राशि प्राप्त की गई है।

Ease of Doing Business (EODB/BRAP) के अंतर्गत किये गये कार्य :– ई–मापविज्ञान पोर्टल के माध्यम से विभाग की सभी सेवायें जैसे – माप–तौल उपकरणों का सत्यापन तथा पुर्नसत्यापन, माप–तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक अनुज्ञप्तियों को जारी करना तथा उनका नवीनीकरण, पैकर्स पंजीयन इत्यादि सभी विभागीय प्रतिवेदन ऑनलाईन के माध्यम से सुविधायें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 1,74,074 आवेदन प्राप्त हुये है।

इस वर्ष **Business Reform Action Plan** के अंतर्गत अनुज्ञप्ति आवेदन प्रारूप को सुव्यस्थित एवं सरलीकरण किया गया है तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी सुविधायें 15 दिवसों के भीतर प्रदान किया जा रहा है। आवेदकों को उनकी आवेदन की स्थिति SMS के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है तथा सत्यापन का प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

विभाग की गतिविधियॉं :–

01. **पुर्नसत्यापन शिविर** :– विभाग द्वारा बांट–माप के सत्यापन हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन सालभर किया जाता है, जिससे शुल्क के रूप में विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। वर्ष 2024–25 में दिसंबर 2024 तक कुल **364**

CamScanner

शिविरों का आयोजन कर लगभग 21776 बांट–माप का सत्यापन किया गया है। जिसमें 5.25 करोड़ राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ।

02. **अभियोजन कार्य** :– विभागीय निरीक्षकों द्वारा बाजार का सतत निरीक्षण कर बांट–माप नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध अभियोजन दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में माह दिसंबर 2024 तक विभाग द्वारा कुल 718 प्रकरण दर्ज किये गये है, इन प्रकरणों में अब तक 47.34 लाख रूपये राजीनामा राशि दण्ड स्वरूप वसूल की गई है।

03. **जन जागरूकता कार्य**– विभाग द्वारा जन जागरूकता हेतु दूरस्थ एवं अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकाधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक बनाने का प्रयास किया गया । साथ ही विभागीय पोर्टल में जन जागरूकता हेतु संदेश प्रदर्शित किये गये हैं। विभाग द्वारा कलिंगा युनिवर्सिटी रायपुर एवं सीपेट रायपुर में Publicity Stall लगाया गया है।

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ
नवा रायपुर

I\sthapna\letter\

CamScanner